International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

"भारत में बाल–अपराध के कारण एवं रोकथाम के उपाय"

शोध निर्देशक

डॉ ललित मोहन चौधरी

श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंसेस, सिहोर, मध्य प्रदेश, भारत

शोधार्थी नीतू शर्मा

श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंसेस, सिहोर, मध्य प्रदेश, भारत

Abstract

वर्तमान समय में बाल अपराध की समस्या उन प्रमुख समस्याओं में से एक है जिसे आपराधिक व्यवहार के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। यह एक ऐसी समस्या है जो मूल रूप से परिवार और समुदाय के विघटन का परिणाम है। दुनिया के लगभग सभी देशों में बाल अपराधियों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि चिंता का विषय है क्योंकि जिन बच्चों पर देश या राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है अगर वे असामान्य बच्चे बन जाते हैं तो देश का भविष्य बिगड़ सकता। भारत में, बाल अपराध को किशोर अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अर्थात, ,क निर्दिष्ट आयु से कम उम्र के बच्चों धारा कि, •, अपराध को बाल अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।बाल अपराध ,क सामाजिक समस्या है। इसलि, बाल अपराध के कार.ा भी समाज में मौजूद हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता वरन् जन्म के पश्चात् ही अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। जो व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर चुके होते हैं और वह सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध कार्य करते हैं। उसे अपराध माना जाता है और यदि इस कार्य को अपरिपक्व बालक के द्वारा किया जाता है तो उसे बाल–अपराध (श्रनअमदपसम क्मसपदुनमदबल) की संज्ञा दी जाती है।

Keywords: *बाल अपराध , समाज , व्यवहार*

1.1 प्रस्तावना

बाल–अपराध एक विश्वव्यापी समस्या है जिसे प्रत्येक राष्ट्र और समाज में किसी न किसी रूप में देखा जा सकता है। यह सत्य है कि प्रत्येक देश एवं काल की परिस्थितियां भिन्न–भिन्न होती हैं, इस कारण बाल–अपराध समस्या की प्रकृति में भी भिन्नता पायी जाती है। भारत वर्ष में बाल–अपराध के सम्बन्ध में जो भी आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि यह समस्या दिन–प्रतिदिन उग्र रूप धारण करती जा रही है। भारतवर्ष की तुलना में

पाश्चात्य देशों में तो यह समस्या और भी अधिक गम्भीर बन चुकी है। इस प्रकार यह कहना अतिश्योक्तिपूर्ण न होगा कि हाइड्रोजन बम, हशीश एवं कम्प्यूटर की भांति बाल–अपराध भी द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जन्मी एक विस्फोटक समस्या है जिसका दिन–प्रतिदिन विश्वव्यापी स्तर पर विस्तार होता जा रहा है। यही कारण है कि वर्तमान समय में इस समस्या को विशेष महत्व दिया जा रहा है।जब एक बच्चे द्वारा कोई कानून विरोधी या असामाजिक कार्य किया जाता है, तो इसे बाल अपराध कहा जाता है। कानूनी दृष्टिकोण से, बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया एक कानूनी विरोधी कार्य है, जिसे कानूनी कार्यवाही के लिए बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। भारत में बाल न्याय अधिनियम। अनुच्छेद १९६६ (संशोधित २०००) के अनुसार, १६ वर्ष तक के लड़के और १८ वर्ष तक की लड़कियों को अपराध करने पर बाल अपराधियों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। बाल अपराध के लिए अधिकतम आयु सीमा एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है। इस आधार पर, एक "राज्य" द्वारा निर्धारित आयु सीमा के भीतर एक बच्चे द्वारा किया गया एक कानूनी–विरोधी कार्य एक बाल अपराध है।

बर्ट–*"उस बालक को अपराधी कहते हैं, जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियाँ इतनी गम्भीर हो जाती हैं कि उसके प्रति सरकारी कार्यवाही आवश्यक हो जाती है।"*

हीली– *"वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता, अपराधी कहलाता है।" जो कार्य जानबूझकर नहीं किया गया है उसे अपराधी नहीं कहते। केवल वही कार्य जो कानून द्वारा निषेध माने गए हैं, यदि वे किए जाते हैं तो अपराध माने जाते हैं*

1.2 बाल–अपराध के कारण

बाल अपराध के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं–

- **पैतृकता** – बाल अपराध का एक प्रमुख कारण पैतृकता है। यदि आलक की माता–पिता अपराधी प्रवृत्ति के हैं तो उसका, प्रभाव बच्चे पर पड़ता है और बह भी आपराधिक कार्य करने लगता है।

- **दोषपूर्ण आवास व्यवस्था** – भारत के नगरों में मकानों की कमी के कारण निम्न आय के अधिकांश लोग एक ही कमरे वाले मकान अथवा झुग्गी–झोपड़ियों में निवास करते हैं। इन मकानों में बच्चों को सभी तरह की दशाओ को देखने और सुनने का अवसर मिलने के कारण उनमें उत्तेजना पैदा

होने लगती है। बहुत–से बच्चे इसी उत्तेजना के कारण अश्लील व्यवहार यौनिक अपराधों तथा मारपीट जैसे अपराधों के शिकार हो जाते हैं।

- **बच्चों का तिरस्कार** – जिन परिवारों में माता–पिता का जीवन बहुत व्यस्थ होता है अथवा अपनी सुख–सुविधाओं में पड़े रहने के कारण मे बच्चों को अपनी स्वतंत्रता में बाधा समझने लगते हैं, वहाँ बच्चों का जीवन बहुत तिरस्कृत हो जाता है। इस दशा में बच्चों का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है इसी के फलस्वरूप उनमें अपराधी व्यवहार की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है।

- **बिखरे परिवार** परिवार के सदस्यों में हमेशा कलह बनी रहने से मानसिक स्तर पर परिवार टूटने लगता हटे परिवारों में एक और बच्चे में ऐसी अनिवार्य आवश्यकताएँ पूरी नही हो पाती तथा दूसरी ओर परिवार के वातावरण से बच्चे में ऐसी उतेजनाएं पैदा होने लगती है। जिनके प्रभाव से वह बचपन से ही समाज–विरोधी कार्य करना आरम्भ कर देता है।

- **दोषपूर्ण अनुशासन** – अत्यधिक कठोर अनुशासन अथवा बच्चों को दी जाने वाली आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता भी ऐसी दशाएँ हैं जो बच्चों को अपराध की ओर ले जाती है। छोटी–छोटी बात पर बच्चों को शारीरिक दण्ड देने से बच्चे स्वयं ही क्रूर व्यवहार के अभ्यस्त होने लगते हैं। यही प्रवृत्ति उन्हें साथियों से मार–पीट करने और हिंसक व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। अधिक लाड़–प्यार से बच्चों में जुआ, खेलने, शराब पीने तथा यौनिक अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है।

- **पक्षपातपूर्ण व्यवहार –** परिवार में यदि किसी बच्चे को अधिक प्यार दिया जाये तथा किसी दूसरे बच्चे के साथ हमेशा कठोर व्यवहार किया जाये तो स्वाभाविक है कि ऐसे कठोर व्यवहार से बच्चे के मन में ईर्ष्या और बदले की भावना उत्पन्न होने लगती हैं और वे गलत संगत में पड़कर अपराधी बन जाते हैं।

- **अधिक सुख की इच्छा** – मनोवैज्ञानिक रूप से बाल–अपराधियों में यह भावना बहुत प्रबल होती है कि उच्च वर्ग के लोगों की तरह उन्हें भी अधिक–से–अधिक सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसका साधन चाहे कुछ भी हो। मादक द्रव्यों का उपयोग और उनसे उत्पन्न होने वाले अपराध भी अधिक सुख की इच्छा का ही परिणाम होते हैं।

- **हीनता की भावना** – जो बच्चे आरम्भ में ही पढ़ने में बहुत कमजोर होते हैं, अपने साथियों की तुलना में शारीरिक रूप से विकारयुक्त होते हैं अथवा जो किसी भी काम को कुशलतापूर्वक नहीं कर पाते, वे इस हीन भावना का शिकार हो जाते हैं और अपराध की ओर अग्रसर हो जाते है।

- **मानसिक अस्थिरता** – यह पाया गया है कि मनोवैज्ञानिक रूप से अधिकांश बाल अपराधियों में मानसिक अस्थिरता पायी जाती है। साधारणतया बच्चे की जब सामान्य इच्छाओं और अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती तो उसके मन में अनेक प्रकार के तनाव उत्पन्न होने के साथ ही वह हर समय अपने आपको असंतुष्ट अनुभव करने लगता है। ऐसी दशा में वह अपराध को ओर उन्मुख हो जाता है।

- **बुद्धि का निम्न स्तर** – बच्चों द्वारा किये जाने वाले यौन अपराध कम बुद्धि का ही परिणाम होते हैं। बुद्धि के निम्न स्तर के कारण बहुत–से बच्चों में तर्क शक्ति का अभाव होता है जिसके फलस्वरूप उनके संगी–साथी उन्हें जल्दी से अपराध की ओर ले जाने में सफल हो जाते है।

- **अस्वस्थ मनोरंजन** – वर्तमान युग में मनोरंजन के अधिकांश साधन बच्चे का चरित्र–निर्माण न करके उनमं उत्तेजना और तनाव उत्पन्न करते हैं। टेलीविजन अधिकांश कार्यक्रमों तथा चलचित्रों में हत्या, डकैती, अपहरण, सेक्स तथा तस्करी के दृश्य बच्चों में उत्तेजना पैदा करते हैं। अश्लील पत्र–पत्रिकाएं बच्चों के जीवन को अनैतिक बनाने लगती हैं।

- **जाति–विभेद** – भारतीय दशाओं में उच्च और निम्न जातियों के बीच पाये जाने वाले विभेद भी बाल अपराध का एक प्रमुख सामाजिक कारण है। अनेक अध्ययनों से स्पष्ट है कि उच्च जातियों के बच्चे जब निम्न जातियों के बच्चों के साथ भेदभाव का व्यवहार करते हैं तथा उन्हें अपने से दूर रखने का प्रयत्न करते हैं तो निम्न जातियों के बच्चे अपराधी व्यवहारों के द्वारा इसका विरोध करने लगते हैं।

- **अन्य कारण** – यह सच है कि बाल अपराधों के लिए पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक दशाएं अधिक उत्तरदायी होती हैं । लेकिन कुछ बाल अपराध इनके अतिरिक्त अनेक दूसरी दशाओं के भी परिणाम होते हैं। गरीबी, उद्देश्यहीन शिक्षा, दोषपूर्ण सीख, युद्ध की स्थिति तथा आर्थिक मन्दी आदि अन्य प्रमुख दशाएं हैं ।

- **साथी और गिरोह।** बाल गिरोह के सदस्यों द्वारा असामाजिक और आपराधिक आचरण कोई नई बात नहीं है । इस देश में आने वाले प्रारंभिक अप्रवासी समूह अक्सर पाए जाते हैं खुद शहरी क्षेत्रों की सबसे खराब मलिन बस्तियों में स्थित थे और जल्द ही गिरोह उभर आए। जैसा बच्चा बड़ा हो जाता है वह पड़ोस में जाता है और प्ले ग्रुप या पीयर ग्रुप सदस्य बन जाता है

- **भीख** भिक्षावृत्ति अक्सर बाल अपराध का कारण होती है। बाल भिखारी ज्यादातर बहुत गरीब परिवारों या टूटे हुए घरों से आते हैं। बच्चों को धोखा दिया जाता है माता–पिता का आवश्यक प्यार और स्नेह नहीं होने के कारण वे अपनी संतुष्टि के लिए तरसते हैं आंतरिक आवेगों, इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से वे भिखारी बनना चुनते हैं वही। भिखारी के रूप में वे दूसरों को जीवन का आनंद लेते देखकर चिढ़ जाते हैं। उनमें से कुछ मई विद्रोही भी बन जाते हैं।

- **अन्य सामाजिक–आर्थिक (या) पर्यावरणीय कारक** पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन , अस्थिरता, बुरी संगति , नष्ट घर , दोषपूर्ण अनुशासन , संस्कार का अभाव , समाजीकरण की दोषपूर्ण प्रक्रिया , अवैध पितृत्व व अवांछनीय संतान , अनैतिक परिवार , सौतेले माता पिता , माता पिता के बच्चों के साथ पक्ष पातपूर्ण व्यवहार , अतिव्यस्त माता पिता , माता पिता से बच्चों की उपेक्षा , भीड़ भाड़ व गंदी बस्ती , बच्चों को समय न दिया जाना , पारिवारिक तनाव , भावनात्मक स्थिरता , अपराधी छेत्र का प्रभाव , अश्लील साहित्य , सूचना प्रोधोगिकी का सहज उपलब्ध हो पाना , दोषपूर्ण शिक्षा , एकाकी पारिवारिक व्यवस्था , पश्चिम सभ्यता का अनुकरण एवं आधुनिकरण पर बल दिया जाना आदि.

1.3 बाल अपराध के रोकथाम के उपाय

- **समुचित पालन पोषण**

किशोर अपराध के निरोध का मूलमंत्र उन कारणो की रोकथाम है जिनसे बालक अपराधी बनते है विभिन्न अध्ययनों से यह देखा गया है कि अपराध की ओर जाने का मूल कारण बालक का समुचित पालन पोषण न होना है। अतरू किशोरापराध को रोकने के लिए सबसे प्रथम परिवारों का पुनर्संगठन करना होगा माता या पिता बनने से पहले प्रत्येक स्त्री और पुरूष को बाल मनोविज्ञान तथा बालकों के पालन पोषण संबंधी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। बालक का पालन पोषण एक कला एवं विज्ञान है इस कला की आवश्यक शर्ता माता–पिता का चरित्र एवं व्यवहार तथा घर का वातावरण है आवश्यकता से अधिक लाड़ प्यार से बालक बिगड़ते जाते है। आवश्यकता से कम स्नेह तथ्ज्ञा प्रूापर पाने से उनका भावात्मक विकास नही हो पाता। अतरू प्यार का बालक के जीवन में बडा महत्व है। मारपीट और अपमान बहुधा बालक को अपराध की राह पर ले जाता है। घर में वातावरण प्रेमपूर्ण होना चाहिए दूसरे बालक की जिज्ञासाओं के समाधान में बडी सावधानी की आवश्यकता है कोई बात पूछने पर बालक को झिझक दिया जाए या उससे झूठ बोल देने पर प्रभाव बडा बुरा पडता है। बहुधा बालको से यौन जिज्ञासाओं के विषय में झूठ

बोल दिया जाता है बालक जब अपने साथियों या घर के नौकरों से सही बात का पा जाता है तब उन पर माता–पिता का झूठ खुला जाता है। बहुधा स्त्री पुरूष के परस्पर प्रेम व्यवहार के समय बालक के आ जान पर वे अपराधी की सी मुद्रा बना लेते है या बालको को फटकार देते है इससे बालक में अपराध ग्रंथी बन जाती है। आवश्यक यौन शिक्षा के अभाव में अनेक बालक–बालिकाऐं बाल अपराध की राह पर अग्रसर हो जाते है। माता–पिता बालक के सामने आदर्श होते है। उनके आपस में झगड़ों का और उनके चरित्र को ठीक रखने के विषय में बालक के प्रति जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए वास्तव में बालक को अपराध से बचाने का तरीका उसकी बुरी आदतों को रोकना नही बल्कि उसमें अच्छी आदतें डालना है।

➢ स्वस्थ मनोरंजन

मनोरंजन का व्यक्ति के जीवन में बडा महत्वपूर्ण स्थान होता है स्वस्थ मनोरंजन के अभाव में बालक की अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। अतरू अपराधों को रोकने के लिए स्वस्थ तथा सुसंस्कृत मनोरंजन की सामग्रियों का उपलब्ध होना अत्यंत आवश्यक है।

➢ समुचित शिक्षा

परिवार के बाद बालक पर विद्यालय का प्रभाव पडता है अतरू किशोर अपराध को रोकने के लिए बालक की समुचित शिक्षा का प्रबंध होना जरूरी है। समुचित शिक्षा में शिक्षक का व्यक्तित्व विद्यालय का पाठ्यक्रम, शिक्षा की विविधता और पाठ्यक्रम के अलावा कार्यक्रमों का बडा महत्व होता है। शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान का विशेष ज्ञान होना चाहिए। ताकि वे अपने विषय को मनोरंजक ढंग से उपस्थिति कर सके और बालक में विषय के प्रति रूचि उत्पन्न कर सकें। शिक्षक का आचरण और व्यवहार बडा सुधरा हुआ होना चाहिए क्योंकि बालक को उसके उराहरण से शिक्षा देनी चाहिए बालक का अपमान बडा भी ही घातक सिद्ध होता है। शारीरिक दण्ड का यथासम्भव प्रयोग नही होना चाहिए। पढ़ने लिखने में कमजोर बालकों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके अपराधी बनने की संभावना अधिक रहती है विद्यार्थियों को अपनी इच्छा अनुसार विषय चुनने तथा आपस के मामलों को स्वयं निपटाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। खेलकूद नाटक, वाद विवाद, स्काउटिंग तथा नाना प्रकार की प्रतयोगिताओं के द्वारा बालक की विभिन्न प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त होने का अवसर मिलने से उसकी अपराध की ओर जाने की संभावना कम हो जाती है सामान्य शिक्षा के साथ–साथ बालको को शारीरिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा तथा

नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। स्कुल से भागना, अपराध की पहली सिढ़ी है स्कूल का वातावरण तथा शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि बालक विद्यालय से न भागें।

➢ मनोवैज्ञानिक दोषो का उपचार

मनोवैज्ञानिक दोष अपराध के महत्वपूर्ण कारण है अतरू बालकों को अपराधों से रोकने के लिए उनके मनोवैज्ञानिक दोषो का उपचार अत्यंत आवश्यक है इसके लिए विद्यालयों में लगे हुए मनोवैज्ञानिक क्लिनिक होना चाहिए जो बालकों के विषय में उचित देखभाल कर सकें तथा परामर्श दे सकें।

1.4 निष्कर्ष

आज बाल अपराध की समस्या समाजशास्त्रियों, अपराधशास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों के लिये गम्भीर विचार का प्रश्न बनी हुई है, क्योंकि बाल अपराध की निरन्तर वृद्धि ने वयस्क अपराध की समस्या को अधिक भयावह बना दिया है। यह माना जाता है कि बाल अपराध, अपराध का प्रवेश द्वार है। यही कारण है कि वर्तमान समय में बाल अपराध की समस्या की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा बाल अपराध की ओर प्रवृत्त करने में उत्तरदायी कारकों की खोज तथा बाल अपराध निषेध के कार्यक्रमों का विश्लेषण किया जा रहा है।

1.5 उपसंहार

बाल अपराध प्रारम्भिक अवस्था में रोका जा सकता है यदि घर पर तथा विद्यालयों में उचित देख–रेख की जाय। अभिभावकों व शिक्षकों की बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन पर अपराधी का आक्षेप ने लगाकर उनमें सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक सुधार के लिए गंभीरतापूर्वक कार्य किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ

[1] तिवारी, आर0के0 एवं श्रीराम यादव (2012) 'बाल अपराध पर जनसंचार माध्यमो ं का प्रभाव : एक समाज ाास्त्रीय अध्ययन'' राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा, वर्श 14 अंक 1, जनवरी – जून 2012, 8 5

[2] टर्मिनल कोर 'वेल्यूज एसोसिएटेड विद् एडोलिसेंट प्रॉबलम्स, बिहेवियर'', एडोलिसेंस 43 (133), 47–60

[3] रोकेच, एम. (1973), ''दि नेचर आफ हयूमन एटीट्यूडस'', फ्री प्रेस, न्ययूार्क, 438।

[4] स्ट्रास बर्गर, बी. (1995), ''एडोलिसेंट एंड द मीडिया,'' कैलिफोर्निया : सेज, 2

[5] रार्बट, डी. एवं श्रम डब्लू (1971) शिकागो : यूनिवर्सिटी प्रेस आफ इलिनायस, 596

[6] आहूजा राम, सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन्स, दिल्ली 2012

[7] भटनागर बी0ए0, अधिगमकर्त्ता का विकास एवं शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया, राधिका कम्प्यूटर्स, मेरठ, 2013

[8] मिश्र कुमार ब्रज, मानस रोग असमान्य मनोविज्ञान, च्भ्स् स्मंतदपदह प्रा. लि., दिल्ली, 2015

[9] चक्रवती तरूण, अपने बच्चे को श्रेश्ठ कैसे बनाएं, डायमण्ड पोकेट बुक्स प्रा. लि., 2016

[10] एनसीआरबी की रिपोर्ट 2016